

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक

निगम 1469-एक/15

जिला - जबलपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पत्रकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| 17-5-16 | <p>यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 2-5-16 के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक वीरनसिंह परस्ते द्वारा ग्राम रिखई प.हं.न. 93 रा.नि.मं. खमहरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 300/2, 300/3, 297/1, 297/2, 296 रकबा क्रमशः 0.100, 0.200, 1125 वर्गफुट, 1375 वर्गफुट एवं 2517 वर्गफुट कुल रकबा 0.347 हेक्टर के विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन नायब तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है । कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि भूमि एक तरह से निवेश की वस्तु होती है जिसकी कीमत भविष्य में लगातार बढ़ेगी । प्रस्तावित भूमि पर आवेदक का नाम संशोधित किए जाने का आदेश दिनांक 2-5-16 को हुआ है और उसके बारह-चौदह माह बाद</p> | |

R2

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|--|
| | <p>आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के एक माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-5-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम रिकार्ड प.हं.न. 93 रा.नि.मं. खहरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 300/2, 300/3, 297/1, 297/2, 296 रकबा कमशः 0.100, 0.200, 1125 वर्गफुट, 1375 वर्गफुट एवं 2517 वर्गफुट कुल रकबा 0.347 हेक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none">1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयवाधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। <p>यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> | <p> सदस्य</p> |

R/S